(64)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2864–पीबीआर/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 9–7–2015 पारित द्वारा अपर आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद, प्रकरण क्रमांक 31/अपील/2014–15.

1–श्रीमती रामसुतीबाई बेवा स्व0श्री ठुन्नूलाल(नाम विलोपित)
2–बालाराम पुत्र स्व0श्री ठुन्नूलाल
3–परसराम पुत्र स्व0श्री ठुन्नूलाल
4–तुलाराम पुत्र स्व0श्री ठुन्नूलाल
निवासीगण ग्राम मुर्गीढाना तहसील बनखेड़ी
जिला होशंगाबाद म0प्र0
5–श्रीमती लापचीबाई पुत्री स्व0श्री ठुन्नूलाल
पत्नि श्री टीकाराम चौकसे
निवासी ग्राम कल्याणपुर तहसील गाडरवाडा
जिला नरसिंहपुर म0प्र0
6–श्रीमती श्रीबाई पुत्री स्व0श्री ठुन्नूलाल
पत्नि श्री राकेश कुमार राय
निवासी ग्राम डुंगरिया तहसील बनखेडी
जिला होशंगाबाद म0प्र0

..... आवेदकगण

विरूद्ध

नंदकिशोर पुत्र स्व0श्री ठुन्नूलाल चौकसे,
निवासी ग्राम मुर्गीढाना तहसील बनखेड़ी
जिला होशंगाबाद म0प्र0

..... अनावेदक

.....

श्री मेहरबानसिंह, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री डी0डी0मेघानी, अभिभाषक, अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 5/4/18 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा अपर आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 9–7–2015 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे केवल ''संहिता'' कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2– प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा तहसील न्यायलय के समक्ष एक आवेदन पत्र प्रस्तुत कर उनके पिता द्वारा ग्राम मुर्गीढाना की कृषि भूमि खसरा नम्बर 328/1 रकबा 2.23 एकड़ का पारिवारिक बंटवारा करते हुये अनावेदक को आधिपत्य सौंप दिया था, अतः उक्त भूमि पर उसके नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किया जाये । तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर दिनांक 24–3–2006 को आदेश पारित कर उक्त भूमि पर अनावेदक का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किया गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध आवेदकपक्ष द्वारा अनुविभागीय अधिकारी पिपरिया के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 19–3–2008 को आदेश पारित तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त किया जाकर अपील स्वीकार की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 9–7–15 को आदेश पारित अपील स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 19–3–08 निरस्त किया गया । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3– आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि संहिता की धारा 178 के अंतर्गत केवल सह खातेदारों के मध्य ही बटवारा किया जा सकता है, पैत्रक संपत्ति में पिता अपनी इच्छा से अपने वारिसों के मध्य बटवारा करने के लिये सक्षम है, जिसके लिये उसे अपनी सहमति प्रदान करते हुये आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होता है जो इस प्रकरण में नहीं किया गया है, अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के इस बिन्दु को भी नहीं देखा है कि जब संपत्ति पैत्रक हो तब पिता अपने पुत्रों के बीच अपनी सहमति से

बटवारा करने के लिये सक्ष है, उसकी सहमति के विरूद्ध स्वत्व का निर्धारण करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है, इसलिये अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है । उनके द्वारा निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का विधि विरूद्ध एवं मृत व्यक्ति के विरूद्ध पारित आलोच्य आदेश निरस्त करते हुये अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखे जाने का निवेदन किया गया ।

4– अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अधीनस्थ अपर आयुक्त न्यायालय द्वारा पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने एवं तहसील व अनुविभागीय अधिकारी के आदेशों का परिशीलन करने के उपरांत विधि एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुये आदेश पारित किया गया है जो स्थिर रखे जाने योग्य है ।

(2) विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि हक के आधार पर यदि सिविल वाद लंबित है तो राजस्व न्यायालय द्वारा उसी विवाद से संबंधित मामला चलने नहीं दिया जाना चाहिये। इस संबंध में 2000 आरएन 182 के न्यायदृष्टांत में निर्धारित किया है कि हक के आधार पर सिविल वाद लंबित–उसी विवाद से संबंधित मामला चलने नहीं दिया जाना चाहिये। इस परिप्रेक्ष्य में भी निगरानीकर्तागण द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त करते हुये अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत् रखा जाना न्यायहित में है ।

(3) आवेदकगण का यह तर्क विधि सम्मत नहीं है कि राजस्व न्यायालय सह खातेदारों के मध्य ही बटवारा कर सकते है । आवेदकगण ने संहिता की धारा 178–क का विधिक परिशीलन नहीं किया जिससे यह स्पष्ट होता है कि पिता की कृषि भूमि में उनके वारिसों का भी हक एवं अधिकार है और इस धारा के अन्तर्गत पिता के स्वत्व की भूमि में वारिसों के नाम बटवारा किया जा सकता है । हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पिता की पैतृक अचल संपत्ति में पुत्र का वैधानिक स्वत्व एवं अधिकार होता है । इस विधिक बिन्दु को ध्यान में रखते हुये अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक आदेश पारित

किया है जिसे यथावत् रखते हुये आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है ।

(4) अधीनस्थ न्यायालय ने संहिता की धारा 178–क का विधिक परिशीलन करने के उपरांत यह मान्य किया है कि किसी भूमि स्वामी की कृषि भूमि का अपने जीवनकाल के दौरान विधिक वारिसों में विभाजन हो सकता है ।

(5) कृषि भूमि भूमिस्वामी अधिकारों में अभिलिखित–पैतृक तथा संयुक्त हिन्दु परिवार की संपत्ति पुत्र को विभाजन कराने का अधिकार है क्योंकि हिन्दू विधि के अनुसार संयुक्त हिन्दु परिवार की पैतृक संपत्ति में पुत्र को जन्म से ही अधिकार होता है । इस परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश यथावत् रखकर निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है ।

तर्क के समर्थन में 1988 आरएन 285, 1985 आरएन 107, 1988 आरएन 346, 1996 आरएन 292 व 1996 आरएन 33 के न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

5– उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि भूमि के अभिलिखित भूमिस्वामी ठुन्नूलाल थे । उनके जीवित रहते के दौरान उनके पुत्र ने बंटवारे की मॉग की जिसके आधार पर तहसील न्यायालय द्वारा बटवारा किया । तहसील न्यायालय द्वारा किया गया बटवारा नियमानुसार नहीं है, क्योकि प्रथमतः पिता के जीवित रहते उन्हें बटवारे का अधिकार है, पुत्र को नहीं । प्रकरण में अन्य वारिसों को भी सुना जाना था, जो नहीं सुना गया है । तहसील न्यायालय द्वारा किये गये बटवारे से ठुन्नूलाल सहमत नहीं थे तभी उन्होंने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की थी । अपर आयुक्त ने मात्र इस आधार पर कि अनावेदक ने अपने हिस्से से कम पर बंटवारा कराया है, इसलिये तहसील न्यायालय द्वारा किये गये बंटवारे की पुष्टि की गई है । ठुन्नूलाल की मृत्यु पर अनावेदक ने शेष बची भूमि पर अपना क्लेम छोड़ दिया है, इसकी कोई पुष्टि अपर आयुक्त के समक्ष अनावेदक द्वारा नहीं की गई है । अतः अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश अवैधानिक एवं अनुचित होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 9–7–2015 निरस्त किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी पिपरिया जिला होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 19–3–2008 स्थिर रखा जाता है । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर.